	अध्याय – X विविध	
	96. (1) यदि किसी ग्रामीण परिषद या द्वीप परिषद के किसी सदस्य या संबंधित कैप्टेन के किसी चुनाव वैधता पर चुनाव में वोट प्राप्त किए किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न उठाने पर वह व्यक्ति चुनाव परिणाम के घोषित करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर किसी भी समय ऐसे प्रश्न के लिए नियत किए गए निर्धारित फार्म में जिला न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकता है । (2) प्रत्येक याचिका को जैसा भी संभव हो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी और प्रयास यही किया जाएगा कि जिला न्यायाधीश के पास प्रस्तुत की गई तिथि से छह माह के भीतर मुकदमा को समाप्त किया जाए ।	निर्वाचन याचिका
	97. (1) उसके सिवाय इस विनियम या इसके लिए निर्मित नियमों के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उपलब्ध प्रक्रिया के अलावा दायर किए गए मुकदमा के संबंध में जहाँ तक यह लागू होगा, इसे जिला न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिका की सुनवाई में पालन किया जाएगा । बशर्ते कि :– (क) दो या दो से अधिक व्यक्तियों जिनके निर्वाचन को जाँच के दायरे में लिया गया है को उसी याचिका का प्रत्यर्थी बनाया जा सकता है और उनके मुकदमों को एक साथ करने की कोशिश की जाए और किसी दो या उससे अधिक याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाएगी, लेकिन जहाँ तक संभव हो ऐसे मुकदमा या सुनवाई समनुरूप हो, ऐसे याचिका को प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए अलग याचिका समझी जाएगी । (ख) जिला न्यायाधीश को साक्ष्य का पूरा रिकार्ड या रिकार्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह मुकदमे पर निर्णय के लिए अपने विचार में पर्याप्त साक्ष्य का ज्ञापन तैयार कर सकता है । (ग) जिला न्यायाधीश कार्यवाही के किसी भी स्तर पर याचिकादाता को किसी प्रत्यर्थी द्वारा किए गए सभी खर्च अथवा होने वाले खर्च के भुगतान की प्रतिभूति अथवा आगे की प्रतिभूति का आदेश दे सकता है; और (घ) जिला न्यायाधीश किसी मुद्दे पर निर्णय के उद्देश्य के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने, ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने, मौखिक अथवा दस्तावेजी जैसा वह आवश्यक समझे, के लिए ही मात्र बाध्य होगा । (2) लागत की अदायगी के किसी आदेश, जिला न्यायाधीश द्वारा पारित	निर्वाचन याचिका की सुनवाई की प्रक्रिया